

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पारपत्र)विभाग
मंत्रालय

प्रेषक:-

श्रीदास
अवर सचिव

प्रेषित:-

~~सचिव~~

भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
फस्ट फ्लोर हेरीटेज बिल्डींग
मेजर घ्यान चंद नेशनल स्टेडियम
नेयर इंडिया गेट नई दिल्ली-1100001

विषय:-

निवास वृद्धि पाक नागरिक/नागरिको श्री प्रितमदास पुत्र श्री चेतनदास 2. श्रीमती गुणवंती पत्नी
श्री पितमदास निवासी जिला इन्दौर।

भोपाल, दिनांक 2/1/2019

महोदय,

—0—

विषयांकित पाक नागरिक/नागरिको ने 30 दिन के वीसीटर वीसा पर दिनांक 30.06.2018 को भारत आये, मूल वीसा की अवधि दिनांक 23.05.2018 को समाप्त होने पर उनके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ स्थाई निवास करने हेतु फार्म "बी" में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये, जो संलग्न प्रेषित है।

2/ पाक नागरिक/नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त जानकारी पत्र के अनुसार उनके पाकिस्तान में पुत्र निवासरत है। उनके यहाँ पर पुत्र बहु, पोती जिला इन्दौर में रहते हैं। अतिरिक्त जानकारी पत्र की कड़िका 6,7,8,9,10 में नहीं अंकित है। भरण-पोषण हेतु गारंटी बॉण्ड भी प्रस्तुत किया गया है उनके पारपत्र दिनांक 08.03.2019 तक वैद्य है।

3/ पाक नागरिक/पाक नागरिको श्री प्रितमदास पुत्र श्री चेतनदास 2. श्रीमती गुणवंती पत्नी श्री पितमदास को दिनांक 08.03.2018 से 08.03.2019 तक निवासवृद्धि प्रदान करने हेतु सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा(सुरक्षा) म0प्र0 एवं पुलिस अधीक्षक, इंदौर ने ऑन लाईन द्वारा अनापत्ति व्यक्त की है।

4/ आपके ज्ञाप क्रमांक 12011/25/07/एफ-3, दिनांक 2.6.2010 की कड़िका 3 के संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी जाना है।

5/ अतएव अनुरोध है कि प्रकरण में विशेष शाखा (सुरक्षा) मध्यप्रदेश भोपाल एवं पुलिस अधीक्षक, इंदौर द्वारा की गई अनापत्तियों के आधार पर उक्त पाक नागरिकों/नागरिक को ऑन लाईन में आवेदित निवास वृद्धि स्वीकृत की जाती है तो राज्य शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। कृपया लिये गये निर्णय से शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध है।

प्रकरण:-ऑनलाईन में अपलोड है।

भवदीय

(श्रीदास)

पृ० क्रमांक एफ-3(ए)53/2018/ए-1/दो
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक / /2019

1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सुरक्षा) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक विशा/15/पाक/2018-20(547,548,,)दि.30.06.2018 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला-इंदौर (म0प्र0) सूचनार्थ है।
3. आवेदक श्री प्रितमदास पुत्र श्री चेतनदास निवासी 213-एम खातीवाला टैंक जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग